196

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1. नीरजनारायण तनय हरीशंकर अग्रवाल
2. सूरज नारायण तनय हरीशंकर अग्रवाल
   दोनों निवासी राजनगर तह. राजनगर
   हाल निवास राधिका कालोनी, वार्ड क्र 7,
   खुजराहो जिला छतरपुर .....आवेदकगण

विरूद्व

म.प्र.शासन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद खुजराहो जिला छतरपुर .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि जैन मंदिर रोड, खजुराहो स्थित खसरा क्र 1737/2क रकवा 0.283 हे भूमि पर व्यवसायिक निर्माण की अनुमति दिए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा दिनांक 3/2/14 को एक आवेदन पत्र नगर परिषद खजुराहो जिला छतरपुर के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नगर परिषद द्वारा एक पत्र सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छतरपुर को अभिन्यास अनुमोदन हेतु लेख किया जिस पर सहायक संचालक द्वारा निर्धारित समयअवधि में कोई अनुमोदन नहीं किया गया जिस कारण पुनः स्मरण पत्र सहायक संचालक को प्रेषित किया गया परंतु सहायक संचालक द्वारा ना ही अनुमोदन किया गया और ना ही निरस्त किया गया जिस कारण आवेदकगण द्वारा एक रिट याचिका क्र. 14456/15 माननीय उच्च न्यायालय, के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31/8/15 को अपना अंतिम आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 3/2/14 का विधिवत् निराकरण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2108-I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-16	1— आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। 2— मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 के अतंर्गत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण ने अपनी भूमि पर निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 3–2–14 को नगर परिषद खुजराहो जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके उपरांत नगर परिषद द्वारा विभिन्न दिनांक को सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छतरपुर को अभिन्यास अनुमोदन हेतु पत्र जारी किए गए परंतु आज दिनांक तक आवेदकगण के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका भी प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2 माह की अवधि में आवेदन पत्र को निराकरण किए जाने हेतु आदेशित किया गया था साथ ही साथ म.प्र.शासन द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 6–8–14, 29/2/16, 4/4/16, एंव 27/5/16 द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे किन्तु कोई निराकरण नहीं किया गया है। 4— आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकगण द्वारा भूमि खसरा क्र 1737/2क पर निर्माण की स्वीकृति प्रदाय किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 3–2–14 को प्रस्तुत किया गया था तथा उनके आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किए जाने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्र 14456/15 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31–8–15 को अपना आदेश पारित कर आवेदकगण के आवेदन पत्र को 2 माह की समयावधि में निराकृत किए जाने हेतु आदेशित किया गया है अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार	

R. 2108. I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरांत आदेशित किया जाता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खुजराहो एक माह की अवधि में कार्यवाही उपरांत आवेदकगण को निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करें। तदानुसार यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	